प्रेषक :-

उपायुक्त
फरीदाबाद

सेवा में

उप वन संरक्षक
बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन
सैक्टर-14, फरीदाबाद

क्रमांक 560/तबा दिनांक 17.8-21

विषय :- डबुआ मण्डी विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 532 दिनांक 29-7-2021 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में आपने जिस जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे अनुरोध किया है, उस बारे सूचित किया जाता है कि विभाग की डबुआ मण्डी के साथ लगती जमीन पर वर्ष 1991 में शाप-कम-फ्लैट बनाए गए थे। जिसकी नगर निगम द्वारा ड्राईंग न. 801 दिनांक 19-11-1981 तैयार की गई थी इस ड्राईंग के तहत इसमें 140 शाप-कम-फ्लैट बनाए गए थे, जिनमें रोड व सीवरेज आदि की सुविधा नगर निगम द्वारा दी जानी थी

277

अब तक लगभग 50 शाप-कम-फ्लैट की नीलामी हो चुकी है, जिसमें काफी स्वामियों को कन्वेयेन्स डीड भी जारी हो चुकी है। बकाया शाप-कम-फ्लैट की नीलामी भी नियमानुसार की जायेगी। इस प्रकार जगह उपलब्ध न होने के कारण उक्त जमीन आपके विभाग को अन्तरण नहीं की जा सकती।

17.08.2021
कृते उपायुक्त
फरीदाबाद
17/8/021

967

पं० नीरज शर्मा

विधायक · फरीदाबाद NIT-86
सदस्य · स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज कमेटी

निवास व कार्यालय - 1623, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद - 121005
ई-मेल - neeraj.sharma0456@gmail.com
0129-2472211

FBD/21-22/281 Dt 15/06/2021

श्री कंवर पाल गुर्जर जी,
वन मंत्री
हरियाणा सरकार।

विषयः डबुआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।

विषयाकिंत मामले में आपको अवगत करवाया जाता है की डबुआ सब्जी मंडी के साथ पुर्नवास की कई एकड जमीन पर कूड़ा घर बना पड़ा है और बदबू के मारे यहां प्रतिदिन आने व जाने वाले लोगो को भिन्न तरह की बिमारियां हो रही है और कैंसर के मरीजो की सख्या भी दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिससे कि वायु प्रदूषण का लेवल भी दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद प्रदूषण का एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायलय में चल रहा है जिसके तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 60 फुट एयर फोर्स रोड को प्रदूषण के मामले में हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। उपरोक्त मामले को लेकर मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न सख्या 744 भी लगाया गया था। जिसपर दिनांक 16 मार्च को विधानसभा में चर्चा हुई थी, चर्चा के दौरान आपने आश्वासन दिया गया था की पेड लगाने की जिम्मेदारी मेरी है।

इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा की बढते प्रदूषण के मामले को देखते हुए इसी सडक पर कृत्रिम बारिश की सम्भावना तालाशी गई थी जोकि मै समझता प्रकृति के संग खिलवाड होगा। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। उपरोंक्त मामले को लेकर में दिनांक 15 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, मेरे द्वारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है की उपरोक्त खाली जगह पार्क विकसित किया जाए। जिसपर मुख्यमंत्री जी द्वारा डबुआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे, कहा गया है। प्रति सलंग्न

इसलिए मेरा आप महोदय से अनुरोध है की प्रदूषण के बढते मामले को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभाग को दिशा निदेश देने का कष्ट करे की उक्त खाली जमीन पर पार्क बना कर घने वृक्ष लगाए ताकि जिससे की किसी के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड ना हों और न ही प्रदूषण में बढ़ोत्तरी हो। क्योकि डबुआ मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी के बाद सबसे बडी मंडी है। कोरोना की दूसरी लेहर में सबसे ज्यादा मरीज भी फरीदाबाद से हो आए और अक्सीजन की भारी किल्लत से लोगो को जूझना पड़ा। अगर उक्त जगह घने वृक्ष लग जाएगे तो आक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।

आपका

(हस्ताक्षर)

नीरज शर्मा

उपरोक्त की प्रति प्रधान सचिव, वन एंव वन्य जीव विभाग हरियाणा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

425

Department of Revenue & Disaster Management
(Govt. Of Haryana)
New Secretariat Building Haryana, Sector-17, Chandigarh-160017

Regd.

To

1. Shri Neeraj Sharma, MLA, NIT-86, Faridabad.
2. The Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Forests Department.
3. The Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department.
4. The Commissioner Municipal Corporation, Faridabad.
5. The Special Secretary Revenue-II.
6. The Tehsildar (Sales), Faridabad.

Memo No. 1/G-1/2023/ 955
Dated, Chandigarh, the 18.05.2023

Conservator of Forests Faridabad
No. 364
Dt. 3/7/23

Subject: **Construction of Oxyone Park on the vacant land situated at Dabuaa Sabzi Mandi, Faridabad Assembly N.I.T. 86**

Please refer to the subject cited above. I am directed to convey that a meeting is scheduled to be held on 23.05.2023 at 03.00 PM under the Chairmanship of FCR & ACS in his office Room No. 110, 1st Floor, Haryana New Secretariat Building, Sector-17, Chandigarh on the above subject. It is requested to kindly make it convenient to attend the said meeting on the above said date time. Agenda of the meeting is also enclosed herewith.

Superintendent
For Financial Commissioner & Additional Chief Secretary to Government Haryana, Revenue and Disaster Management Department

CC.-

PS/FCR & ACS.

Memo:- 268

19/05/2023
22/06/2023

A copy is forwarded to DFO FBD to provide relevant details on the Agenda items by 19/05/2023

Vinod Kumar, IFS
Addl. PCCF (Admn.)
Haryana, Panchkula

247

विषय :- डबुआ मण्डी पुनर्वास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।

श्री नीरज शर्मा विधायक फरीदाबाद, NIT-86, ने आवेदन दिया है कि डबुआ सब्जी मण्डी स्थित एन आई टी, फरीदाबाद के साथ पुनर्वास विभाग की जमीन पडती है, जिस पर पार्क बनाकर घने वृक्ष लगाने बारे अनुरोध किया है ताकि प्रदूषण में बढोतरी ना हो। आवेदन पत्र पताका 'क' है।

इस बारे प्रार्थना है कि डबुआ मण्डी के साथ लगभग 5 एकड़ जमीन पुनर्वास विभाग की है। इस विभाग द्वारा वर्ष 1991 में इस जमीन पर शॉप-कम-फ्लैट्स व बूथ बनाये गये थे जिसकी ड्राईंग नगर निगम द्वारा तैयार की गई थी जिसका ड्राईंग नं0 801, दिनांक 19.11.1991 है। इस ड्राईंग के तहत इसमें 222 शॉप-कम-फ्लैट्स व 71 बूथ बनाये गये थे जिनका नीलामी द्वारा निपटान किया जाना था। इनमें से शॉप-कम-फ्लैट्स नम्बर 109 से 112, 114, 115, 118 से 121, 123 से 130, 135, 141 से 156, 174, 188, 202 अर्थात 38 शॉप-कम-फ्लैट्स नीलाम किए जा चुके हैं तथा बूथ नं0 1 से 56 नीलाम किए जा चुके हैं। ये बूथ व शॉप-कम-फ्लैट्स इस जमीन पर अलग-अलग जगह पर नीलाम किए गए हैं जिनमें रजिस्ट्री भी जारी हो चुकी है।

इस जमीन पर रोड़ पार्किंग की सुविधा नगर निगम द्वारा की जानी थी तथा बिजली पानी व अन्य सुविधाऐं सरकार द्वारा दी जानी थी परन्तु इस जगह को अभी तक विकसित नहीं किया गया है। इस जमीन पर रोड़ पार्किंग विकसित न किए जाने के कारण व सरकार द्वारा अन्य बिजली पानी की सुविधाऐं न दिए जाने

Scanned with CamScanner

के कारण किसी भी क्रेता ने अभी तक निर्माण नहीं किया है तथा जमीन विकसित न हो पाने के कारण बकाया बूथ व शॉप-कम-फ्लैट्स भी नीलाम नहीं किए जा सके हैं।

माननीय विधायक महोदय ने उक्त जमीन को वन विभाग को देने के लिए अनुरोध किया था ताकि इस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर व पार्क विकसित करके प्रदूषण पर नियन्त्रण किया जा सके। इस बाबत उप-वन संरक्षक फरीदाबाद ने इस जमीन पर वृक्ष लगाने के लिए अपने पत्र दिनांक 29.07.2021 को उपायुक्त फरीदाबाद से अनुरोध किया था। दिनांक 11.08.2021 को उपायुक्त महोदय से केस विचार विमर्श किया था तथा उक्त जमीन की ड्राईंग व नीलामी बारे अवगत कराया गया था, तथा यह भी प्रार्थना की गई कि उक्त जमीन वन विभाग को देने के लिए उपलब्ध ना हैं। इसकी सूचना वन विभाग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.08.2021 के तहत भिजवा दी गई थी। जिसकी फोटो प्रति साथ शामिल की गई है। जो पताका 'ख' पर है।

माननीय विधायक महोदय के आवेदन पत्र बाबत मुख्यालय चण्डीगढ ने भी इस जमीन पर पार्क विकसित करने के लिए अपने पत्र दिनांक 08.09.2021 के तहत इस कार्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 को रिपोर्ट मुख्यालय चण्डीगढ को भिजवा दी थी। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त जमीन पार्क विकसित करने के लिए खाली ना है क्योंकि इसमें पहले ही विभाग द्वारा लगभग 40 प्रतिशत बूथ व शॉप-कम-फ्लैट्स अलग-अलग जगह पर नीलाम किए जा चुके हैं। जिनमें रजिस्ट्री भी जारी हो चुकी है। पत्र दिनांक 28.09.2021 पताका 'ग' है।

with CamScanner

251

इस स्थिति में माननीय विधायक के प्रार्थना पत्र बाबत केस माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व विभाग हरियाणा चण्डीगढ की सेवा में भिजवाया जाना उचित होगा कि पुनर्वास विभाग / हाल राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की इस जमीन पर पार्क आदि विकसित नहीं किया जा सकता। फिर भी अधिकारी अगर सहमत हों तो जिन-जिन व्यक्तियों को बूथ व शॉप-कम-फ्लैट्स बेचे गये हैं उनको किसी एक स्थान पर जमीन दे दी जाये तथा बकाया जमीन पार्क आदि के लिए विकसित कर ली जाये। इस बावत सभी केतागणों की सहमति ली जानी भी उचित होगी कि वो जगह-जगह पर नीलाम की गई जमीन को किसी एक जगह लेने के लिए सहमत हैं या नहीं। अगर सभी केतागण एक जगह जमीन लेने के इच्छुक होते हैं तो बकाया जमीन सरकार के नियमानुसार पार्क आदि के लिए दी जा सकती है। अतः केस माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व विभाग हरियाणा चण्डीगढ को भिजवाया जाना उचित होगा।

Kanungo (S)
21.10.2021

N.Teh(Sales)

NTS
21/10/2021

D.R.O

Report is submitted for your kind consideration please.
22.10.21

As discussed with DRO, NT(Sales) and Kanungo as per site visit done on 22/9/2024

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट ग.

along with the area MLA and SDM- Badkhal —

i) Area surrounding the plots is fully built up and this land is filled with water and piled up with garbage

ii) There is genuine need to clean the area and develop it for the park, if the department allows.

iii) As per the "lay-out plan of Commercial scheme on M.O.R. land opposite New Janta Colony, NIT- Fbd" — drawing no. – 811/FCA dated- 19.11.1991 (Copy enclosed) the area of SCF (Shop-cum-flats) from No. – 174 to 202 and the parking both sides may be utilised for developing the park by shifting SCFS No.- 174, 188, 202 to some other place or refunding the amount (payment will be borne by MCF).

Send this proposal along with drawing and the request letter of MLA to Rehabilitation branch of Revenue deptt., Govt. of Haryana

P.T.O. —

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

Scanned with CamScanner

हरियाणा सरकार

S/N

25

for n/a in this matter

LYadav
11/X/21

DRO

पं० नीरज शर्मा
विधायक - फरीदाबाद NIT-86
सदस्य - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज कमेटी

निवास व कार्यालय - 1623, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद - 121005
ई-मेल - neeraj.sharma0456@gmail.com
☎ 0129-2472211

FBD/21-22/281 Dt 15/06/2021

श्री कंवर पाल गुर्जर जी,
वन मंत्री
हरियाणा सरकार।

डबुआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।

विषयाकित मामले मे आपको अवगत करवाया जाता है की डबुआ सब्जी मंडी के साथ पुर्नवास की कई एकड जमीन पर कूड़ा घर बना पडा है और बदबू के मारे यहां प्रतिदिन आने व जाने वाले लोगो को भिन्न तरह की बिमारियां हो रही है और कैंसर के मरीजो की सख्या भी दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिससे कि वायु प्रदूषण का लेवल भी दिन–प्रतिदिन बढता जा रहा है। फरीदाबाद प्रदूषण का एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायलय में चल रहा है जिसके तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा 60 फुट एयर फोर्स रोड को प्रदूषण के मामले में हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। उपरोक्त मामले को लेकर मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न सख्या 744 भी लगाया गया था। जिसपर दिनांक 16 मार्च को विधानसभा में चर्चा हुई थी, चर्चा के दौरान आपने आश्वासन दिया गया था की पेड लगाने की जिम्मेदारी मेरी है।

इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा की बढते प्रदूषण के मामले को देखते हुए इसी सडक पर कृत्रिम बारिश की सम्भावना तालाशी गई थी जोकि मै समझता प्रकृति के सग खिलवाड होगा। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। उपरोक्त मामले को लेकर में दिनांक 15 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, मेरे द्वारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है की उपरोक्त खाली जगह पार्क विकसित किया जाए। जिसपर मुख्यमंत्री जी द्वारा डबुआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे, कहा गया है। प्रति सलग्न

इसलिए मेरा आप महोदय से अनुरोध है की प्रदूषण के बढते मामले को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभाग को दिशा निदेश देने का कष्ट करे की उक्त खाली जमीन पर पार्क बना कर घने वृक्ष लगाए ताकि जिससे की किसी के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड ना हों और न ही प्रदूषण में बढोत्तरी हो। क्योकि डबुआ मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी के बाद सबसे बडी मंडी है। कोरोना की दूसरी लेहर में सबसे ज्यादा मरीज भी फरीदाबाद से ही आए और अक्सीजन की भारी किल्लत से लोगो को जूझना पडा। अगर उक्त जगह घने वृक्ष लग जाएगे तो आक्सीजन की मात्रा भी बढेगी और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।

आपका

नीरज शर्मा

उपरोक्त की प्रति प्रधान सचिव, वन एव वन्य जीव विभाग हरियाणा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Scanned with CamScanner

प्रेषक :-

उपायुक्त
फरीदाबाद

सेवा मे

उप वन संरक्षक
बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन
सैक्टर-14, फरीदाबाद
क्रमांक 560/तवक दिनांक 17-8-21

विषय :- डबुआ मण्डी विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 532 दिनांक 29-7-2021 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में आपने जिस जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे अनुरोध किया है, उस बारे सूचित किया जाता है कि विभाग की डबुआ मण्डी के साथ लगती जमीन पर वर्ष 1991 में शाप-कम-फ्लैट बनाए गए थे। जिसकी नगर निगम द्वारा ड्राईंग न. 801 दिनांक 19-11-1991 तैयार की गई थी इस ड्राईंग के तहत इसमें 140 शाप-कम-फ्लैट बनाए गए थे, जिसमें रोड़ व पार्किंग आदि की सुविधा नगर निगम द्वारा की जानी थी

अब तक लगभग 50 ग्रुप-एच फ्लैट की नीलामी हो चुकी है, जिनमें आवंटी स्वामियों को कन्वेंस डीड भी जारी हो चुकी है। बकाया ग्रुप-एच-फ्लैट की नीलामी भी नियमानुसार की जाएगी। इस प्रकार जगह उपलब्ध न होने के कारण उक्त जमीन आपके विभाग को अन्तरण नहीं की जा सकती।

17.08-2021
कृते उपायुक्त
फरीदाबाद
17/8/021

137

327

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी-18, वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला, दुरभाष/फैक्स:0172-2563988, 2583158, E-mail: cfplg@yahoo.com

क्रमांकः– शिकायत शाखा/ई–ऑफिस/330382/473 दिनांकः– 07/09/2021

सेवा में:–

उप वन संरक्षक,
फरीदाबाद।

644
21/9/21

विषयः– डबूआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीजन स्थापित करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रार्थी नीरज शर्मा प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न भेजकर अवगत करवाया जाता है कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) नोडल आफिसर सी0एम0 विंडों/शिकायत, हरियाणा पंचकूला द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त मामले की जांच करके जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता के ब्यानों सहित इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट सरकार को भेजी जा सके।

उपरोक्त/संलग्न

Nirmal Kumar Supdt.
कृतेः अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) एवं
नोडल ऑफिसर सी.एम. विण्डो,
हरियाणा, पंचकूला।

Acctt
21.9.2021.

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्यप्राणी विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।

क्रमांक 2184—व—1—2021/2928
चण्डीगढ दिनांक 14/7/2021

विषयः— 1. डबूआ मंडी पुर्नवास विभाग की जमीन पर आक्सीवन स्थापित करने बारे।
2. फरीदाबाद एन0आई0टी0 86 के हॉट—स्पाट 60 फुट एयर फोर्स को स्मार्ट प्रोजक्ट के तहत स्मार्ट रोड़ बनाने बारे।
3. पंचायत भूमि/हूडा भूमि एवं नगर निगम भूमि पर अवैध निर्माण तथा फलों के पेड़ों की अवैध कटाई बारे शिकायत।
4. भिवानी में लघु वन हेतू निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने बारे।
5. वृक्षों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में शिकायत।
6. वन विभाग के पुराने सफेदा के पेड़ जो फैक्टरी की दीवार के आस—पास खड़े हैं उनकों कटवाने बारे।

———

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री नीरज शर्मा विधायक फरीदाबाद, एन0आई0टी0—86 प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2021 तथा दिनांक 27.06.2021, श्री गुरबचन सिंह, गांव भैंसा टिब्बा, एम0डी0सी0 पंचकूला से प्राप्त पत्र दिनांक 25.06.2021, स्वदेशी जागरण मंच, भिवानी, बजरंग बली कालोनी भिवानी से प्राप्त पत्र दिनांक 28.06.2021, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई—मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 01.07.2021 तथा Yamuna Power & Infrastructure Ltd से प्राप्त पत्र दिनांक 16.06.2021 की प्रति अनुलग्नक सहित नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्यप्राणी विभाग।

/2021/Complaint Branch (HQ)

पं० नीरज शर्मा

विधायक - फरीदाबाद NIT-86
सदस्य - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज कमेटी

निवास व कार्यालय – 1623, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद - 121005
ई-मेल - neeraj.sharma0456@gmail.com
0129-2472211

FBD/20-21/149 Dt 16/03/2020

माननीय मुख्यमंत्री जी,
हरियाणा सरकार।

विषयः फरीदाबाद एन0आई0टी0 86 के हॅाट–स्पाट 60 फुट एयर फोर्स पर प्रदूषण की मात्रा कम करने बारे सुझाव।

महादेया जी,

विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाना चहता हूँ कि जैसे की आपको ज्ञात होगा उपरोक्त सडक को लेकर एक केस सी0डब्लू0पी न0 13029/1985 एम0सी0 मेहता V/S युनियन ऑफ इडियां एंड अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायलयमे विचाराधीन है और केन्दीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एयर फोर्स स्टेशन 60 फुट रोड को सबसे प्रदूषित हॅाट–स्पॉट के धोषित किया गया है। जिसको लेकर मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आज विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान मेरे द्वारा कुछ निम्न सुझाव दिए गए थे जोकि इस प्रकार है।

1. 60 फुट रोड डिस्पोजल की की क्षमता बढाई जाए एंव यह सुनिश्चित किया जाए की डिपोजल खराब हो तो उसको प्रथामिकता के आधार पर ठीक किया जाए, क्योकि डिपोजल के बंद रहने के कारण ही अक्सर 60 फुट रोड पर कई–2 दिनों गंदा पानी सडक पर खडा रहता है।

2. प्याली शामशान धाट का बिजली वाला शेड चालू किया जाए ताकि अतिंम संस्कार उसमें किसा जा सके जिससे की प्रदूषण की मात्रा में कमी आए।

3. डबुआ सब्जी मंडी के साथ पुर्नवास की जमीन पडी है जिसपर कुडे का ढेर है जोकि खुद माननीय शहरी निकाय मत्री जी ने माना है उसको या तो पार्क में परवर्तित किया जाए या फिर उक्त जगह को साफ करके बडे–2 पेड लगाए जाए ताकि प्रदूषण की मात्रा में कमी आंए।

4- नवादा भाकडी रोड पर एल्यूमिनयम गलाने वाली फैक्टी, गैस के चूल्हे बनाने वाली, प्लास्टिक के कार्यो वाली फैक्टी है जिसके कारण प्रदूषण होता है सरकार या तो इन फैक्टी को यहा से शिफ्ट करे या फिर उपरोक्त फैक्टरीयों में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले यंत्र लगाए जाए ताकि प्रदूषण की मात्रा में कमी आए।

5. मेरी विधानसभा के 100 मीटर के एरिया में सीवरेज की पूर्ण रूप से सफाई करवाई जांए एंव उक्त एरिया में जहा भी गलिया कच्ची है उनको पक्का किया जाए ताकि सीवर का पानी जगह–2 खडा ना हो। इससे प्रदूषण की मांत्रा में काफी कमी आएगी।

6. हर तीन महीने में मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी हर तीन महीने में मौके की स्थिति का जायजा ले ताकि स्थिति में सुधार हो सके।

आपका

नीरज शर्मा

1. उपरोक्त की प्रति श्रीमति धीरा खंडेलवाल जी,आई0ए0एस, अतिरिक्त प्रधान सचिव, पर्यावरण एंव जलवायु परिर्वतन विभाग, हरियाणा सरकार।

Scanned with CamScanner